[2020] 3 उम. नि. प. 96

संतोष प्रसाद उर्फ **संतोष कुमार**

बनाम

बिहार राज्य

[2020 की दांडिक अपील सं. 264]

14 फरवरी, 2020

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 और 450 – बलात्संग और गृह अतिचार – अभियोक्त्री के एकमात्र अभिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त और अभियोक्त्री के बीच पारिवारिक दुश्मनी होना पाया गया हो, घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में अभियोक्त्री के कथन में फेरफार हो, रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराई गई हो, न्यायालयिक प्रयोगशाला और चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट तथा अन्य साक्षियों से बलात्संग के संबंध में अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन न होता हो, वहां अभियोक्त्री के एकमात्र अभिसाक्ष्य को वेदवाक्य मानकर अभियुक्त की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है और उसे संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना न्यायोचित होगा ।

इस अपील के तथ्यों के अनुसार, अभियोक्त्री–अभि. सा. 5 द्वारा तारीख 16 सितंबर, 2011 को स्थानीय पुलिस थाने के समक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिकथन करते हुए एक लिखित शिकायत फाइल की गई थी कि पूर्ववर्ती रात्रि में लगभग 11.00 बजे कुछ आवाज सुनने के पश्चात् वह जागी और उसके उपरांत मोबाइल फोन की रोशनी में उसने अभियुक्त-अपने पति के भाई को पाया । इसके उपरांत उसने उससे सवाल-जवाब किया । कोई उत्तर देने की बजाय उसने उसके साथ बलात्संग किया । घटना के समय उसका पति गांव से दूर था । उसके पश्चात् उनके पहुंचने पर वह उनके साथ पुलिस थाने गई और लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की । अन्वेषण के समापन पर अन्वेषक

अधिकारी ने अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) और 450 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र फाइल किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) और 450 के अधीन अपराधों के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के अधीन अपराध के लिए 7 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । अभियुक्त ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय तथा आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अपील खारिज कर दी । अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – दोनों निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णयों और आदेशों से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को केवल अभियोक्त्री (अभि. सा. 5) के अभिसाक्ष्य का अवलंब लेते हुए दोषसिद्ध किया गया है । न तो किसी स्वतंत्र साक्षी और यहां तक कि न ही चिकित्सा साक्ष्य से अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन होता है । अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य से अभिलेख पर यह बात आई है कि दोनों पक्षों के बीच एक भूमि विवाद चल रहा था । यहां तक कि अभि. सा. 5 - अभियोक्त्री ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया था कि उसकी संतोष (अभियुक्त) से दुश्मनी है । अभियोक्त्री को अभि. सा. 7, डा. रेणु सिंह-चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया गया था और डा. रेणु सिंह ने क्षति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । क्षति रिपोर्ट में कोई शुक्राणु तथा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नहीं पाए गए थे । डा. रेणु सिंह, अभि. सा. 7–चिकित्सा अधिकारी ने अपने अभिसाक्ष्य में विनिर्दिष्ट रूप से यह राय व्यक्त की और कथन किया कि उसे आहत के शरीर पर हिंसा का कोई चिह्न नहीं पाया था । उसने स्पष्ट तौर पर यह भी कथन किया कि बलात्संग का कोई शारीरिक या विकृतिजन्य साक्ष्य नहीं है ।

यह सही है कि उसके पश्चात् उसने यह कथन किया कि बलात्संग की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है । ऐसा मुख्य परीक्षा में कहा गया था । तथापि, प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया कि बलात्संग का कोई शारीरिक या विकृतिजन्य साक्ष्य नहीं था । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, पेटीकोट पर रक्त समूह और वीर्य का होना अनिश्चायक बताया गया था । इसलिए अभिलेख पर उपलब्ध एकमात्र साक्ष्य अभियोक्त्री का अभिसाक्ष्य है । यह विवादग्रस्त नहीं किया जा सकता है कि अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, तथापि, साक्ष्य अवश्य ही विश्वसनीय और भरोसेमंद होना चाहिए । अत: न्यायालय अभियोक्त्री के साक्ष्य की परीक्षा और इस बात पर विचार करेगा कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियोक्त्री के एकमात्र अभिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करना सुरक्षित है, विशिष्ट रूप से जब न तो चिकित्सा रिपोर्ट/साक्ष्य से और न ही अन्य साक्षियों से इसका समर्थन होता है तथा अभिलेख पर यह आया है कि दोनों पक्षकारों के बीच दुश्मनी थी । अभियोक्त्री के अभिसाक्ष्य का परिशीलन करने और विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि इसमें काफी विरोधाभास है । न केवल तात्विक विरोधाभास है, अपितु अभियोक्त्री के बयान के अनुसार जिस रीति में घटना घटी थी वह भी विश्वसनीय नहीं है । अभियोक्त्री ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया था कि अभियुक्त गिरी हुई सीमा दीवार से कूद कर अंदर आया और उसके पश्चात् अभियुक्त ने बलात्संग किया । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया है कि उसने मोबाइल की रोशनी से अभियुक्त की शनाख्त की थी । तथापि, कोई मोबाइल बरामद नहीं किया गया है । यहां तक कि अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है कि वहां कोई टूटी हुई चारदीवारी थी । उसने यह भी कथन किया है कि प्रात: 10.00 बजे वह पुलिस थाने गई थी और मौखिक शिकायत दी थी । तथापि, अन्वेषक अधिकारी के अनुसार, एक लिखित शिकायत दी गई थी । यह उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी 4.00 बजे अपराह्न में रजिस्ट्रीकृत की गई थी । अभियोक्त्री ने अपने अभिसाक्ष्य में शांति देवी, अभि. सा. 1 और अन्य व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट किए थे । तथापि, शांति देवी ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । इसलिए जब हम

अभि. सा. 5–अभियोक्त्री के बयान की परीक्षा करते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उक्त साक्षी 'उत्तम साक्षी' की किसी कसौटी पर खरा उतरने में असफल रही है । शिकायत देने के बारे में उसके बयान में फेरफार है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब हुआ है । चिकित्सा रिपोर्ट से अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं होता है । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं करती है । स्वीकृत रूप से, दोनों पक्षकारों के बीच भूमि के संबंध में दुश्मनी/विवाद था । जिस रीति में घटना घटित होना बताया गया है वह विश्वसनीय नहीं है । इसलिए इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियोक्त्री–अभि. सा. 5 के एकमात्र बयान को वेदवाक्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है और किसी अन्य समर्थनकारी साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी पर अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश को संधार्य रखने की कोई गुंजाइश नहीं है तथा अभियुक्त को संदेह का फायदा दिया जाना चाहिए । (पैरा 5.2, 5.3 और 6)

विनिर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 4 एस. सी. सी. 491 : **रविन्द्र** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	3.12
[2014]	(2014) 4 एस. सी. सी. 327 : **मुकेश** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** ;	3.12
[2012]	(2012) 8 एस. सी. सी. 21 : **राय संदीप** उर्फ **दीपू** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली)** ;	3.11
[2012]	(2012) 4 एस. सी. सी. 37 : **राजेन्द्र प्रह्लाद राव** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	4.4
[2011]	(2011) 7 एस. सी. सी. 130 : **कृष्ण कुमार मलिक** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	5.4.3
[2008]	(2008) 15 एस. सी. सी. 133 : **राजू और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	3.11

[2007] (2007) 12 एस. सी. सी. 122 :
बी. सी. देवा बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 4.4

[1998] (1998) 8 एस. सी. सी. 635 :
रंजीत हजारिका बनाम **असम राज्य** ; 4.1

[1996] (1996) 8 एस. सी. सी. 635 :
पंजाब राज्य बनाम **गुरमीत सिंह और अन्य** । 4.1

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2020 की दांडिक अपील सं. 264.

2015 की दांडिक अपील (एसजे) सं. 209 में पटना उच्च न्यायालय के तारीख 7 फरवरी, 2018 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री संतोष कुमार, वी. सुशांत गुप्ता, मुस्ताक अहमद और मधुरेन्द्र शर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री केशव मोहन, ऋषि के. अवस्थी, प्रशांत कुमार, पीयुष वत्स और संतोष कुमार-1

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – 2015 की दांडिक अपील सं. 209 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 7 फरवरी, 2018 को पारित किए गए उस आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर मूल अभियुक्त ने यह अपील फाइल की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मूल अभियुक्त द्वारा फाइल की गई उक्त अपील खारिज कर दी थी और विद्वान् सेशन न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) और 450 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध करते हुए पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश की अभिपुष्टि की थी ।

2. इस अपील में अपीलार्थी-मूल अभियुक्त का भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) और 450 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए सेशन न्यायालय द्वारा विचारण किया गया था । अभियोक्त्री–अभि. सा. 5 द्वारा तारीख 16 सितंबर, 2011 को स्थानीय पुलिस थाने के समक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिकथन करते हुए

एक लिखित शिकायत फाइल की गई थी कि पूर्ववर्ती रात्रि में लगभग 11.00 बजे कुछ आवाज सुनने के पश्चात् वह जागी और उसके उपरांत मोबाइल फोन की रोशनी में उसने अभियुक्त-अपने पति के भाई को पाया । इसके उपरांत उसने उससे सवाल-जवाब किया । कोई उत्तर देने की बजाय उसने उसके साथ बलात्संग किया । अभियोजन पक्ष और अभियोक्त्री के अनुसार, उसके पश्चात् अभियुक्त भाग गया और अवसर पाकर उसने शोर मचाया तथा सुमन देवी, उसकी गौतिनी चाची तथा शांति देवी, उसकी चाची सास सहित पड़ौसी वहां आए । उसने उनको वारदात/घटना बताई । अभियोक्त्री के अनुसार, उसने अपनी सास और ससुर जो गया में थे, को सूचित किया । घटना के समय उसका पति गांव से दूर था । उसके पश्चात् उनके पहुंचने पर वह उनके साथ पुलिस थाने गई और लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की । अभियुक्त के विरुद्ध 2011 के पुलिस थाना मामला सं. 325 के रूप में रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । मखदूमपुर पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी द्वारा अन्वेषण किया गया । उसने संबंधित साक्षियों का कथन अभिलिखित किया । अभियोक्त्री के कपड़े/वस्त्र अभिगृहीत किए गए और न्यायालयिक प्रयोगशाला में भेजे गए । उसने डा. रेणु सिंह, अभि. सा. 7, जिसने विपदग्रस्त का परीक्षण किया था, से चिकित्सा रिपोर्ट भी प्राप्त की । उसके पश्चात् अन्वेषण के समापन पर अन्वेषक अधिकारी ने अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) और 450 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र फाइल किया । चूंकि मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जिसे विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, प्रथम, जेहानाबाद को अंतरित किया गया और उसे 2011 के सेशन विचारण सं. 456/90/2012 के रूप में संख्यांकित किया गया । अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और इसलिए विद्वान् सेशन न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त अपराधों के लिए उसका विचारण किया गया ।

2.1 आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री (अभि. सा. 5) और डा. रेणु सिंह–चिकित्सा अधिकारी (अभि. सा. 7) सहित सभी आठ साक्षियों की परीक्षा की । आठ साक्षियों में से अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही घोषित किए गए । अभियोजन पक्ष

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, क्षति रिपोर्ट और न्यायालयिक रिपोर्ट भी अभिलेख पर लाया । अभियोजन पक्ष का साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का भी कथन अभिलिखित किया गया । अभियुक्त का पक्षकथन पूर्ण रूप से इनकारी का था । उसके पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) और 450 के अधीन अपराधों के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने और भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के अधीन अपराध के लिए 7 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया ।

2.2 अभियुक्त ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय तथा आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अपील खारिज कर दी । इसलिए अभियुक्त ने यह अपील फाइल की है ।

3. मूल अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता, श्री संतोष कुमार ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों में दोनों निचले न्यायालयों ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 450 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध करके तात्विक रूप से गलती की है ।

3.1 मूल अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री संतोष कुमार द्वारा यह भी दलील दी गई कि निचले न्यायालयों ने इस तथ्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है कि चिकित्सा रिपोर्ट से अभियोक्त्री/अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं होता है । यह दलील दी गई कि अभियोक्त्री के साक्ष्य का चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थन नहीं होता है क्योंकि अभियोक्त्री के वस्त्रों पर वीर्य या रक्त के कोई धब्बे नहीं पाए गए थे । अत: यह दलील दी गई कि इससे अभियोक्त्री की विश्वसनीयता के बारे में संदेह पैदा होता है ।

3.2 मूल अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री संतोष कुमार द्वारा यह भी दलील दी गई कि पुलिस के

पास मामला दर्ज करने/रिपोर्ट करने में विलंब हुआ था ।

3.3 मूल अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री संतोष कुमार द्वारा आगे यह दलील दी गई कि दोनों निचले न्यायालयों ने इस तथ्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया था कि अभियुक्त और अभियोक्त्री के परिवार के बीच भूमि विवाद के संबंध में पारिवारिक दुश्मनी थी । यह दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं की गई थी । यह दलील दी गई कि क्योंकि अभियुक्त और अभियोक्त्री के परिवार के सदस्यों के बीच विवाद था, तात्विक स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न कराए जाने से अभियोजन का पक्षकथन गंभीर संदेहों से ग्रस्त है ।

3.4 मूल अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री संतोष कुमार द्वारा आगे यह दलील दी गई कि डाक्टर और चिकित्सा/क्षति रिपोर्ट के अनुसार विपदग्रस्त के शरीर पर विशेष रूप से गुप्तांगों पर कोई क्षति नहीं पाई गई थी । अत: यह दलील दी गई कि किसी क्षति के अभाव में अभियोक्त्री/अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी विश्वसनीय नहीं है ।

3.5 मूल अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री संतोष कुमार द्वारा यह भी दलील दी गई कि अभियोक्त्री के अभिसाक्ष्य/साक्ष्य के सिवाय, जिसकी चिकित्सा साक्ष्य द्वारा अभिसंपुष्टि नहीं हुई है, दोष को अभियुक्त से संबद्ध करने के लिए कोई अन्य स्वतंत्र और तर्कपूर्ण साक्ष्य नहीं हैं ।

3.6 मूल अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री संतोष कुमार द्वारा आगे यह दलील दी गई कि यहां तक कि डाक्टर ने भी स्पष्ट रूप से यह कहा है कि बलात्संग का कोई शारीरिक या विकृतिजन्य साक्ष्य नहीं है ।

3.7 मूल अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री संतोष कुमार द्वारा यह भी दलील दी गई कि यहां तक कि रक्त और वीर्य, जो अभिकथित रूप से अभियोक्त्री के पेटीकोट पर पाया गया था, के बारे में न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट/सीरम विज्ञानी की रिपोर्ट अनिश्चायक थी । अत: यह दलील दी गई कि

अभियोक्त्री के पेटीकोट पर अभिकथित रूप से पाए गए रक्त और वीर्य सीरम विज्ञानी की रिपोर्ट से अभियोजन पक्ष को सहायता नहीं मिलती है ।

3.8 मूल अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री संतोष कुमार द्वारा आगे यह दलील दी गई कि यहां तक कि अभियोक्त्री के अभिसाक्ष्य में तात्विक विरोधाभास भी हैं । यह दलील दी गई कि अभियोक्त्री ने विचारण के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया था कि उसने पुलिस के समक्ष एक मौखिक कथन किया था जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखित रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई थी और रिपोर्ट लिखने वाले व्यक्ति की न तो परीक्षा की गई थी और न ही उसे अन्वेषक अधिकारी के समक्ष पेश किया गया था ।

3.9 मूल अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री संतोष कुमार द्वारा यह भी दलील दी गई कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/लिखित रिपोर्ट को दर्ज करने के बारे में भी तात्विक विरोधाभास है । यह दलील दी गई कि अभियोक्त्री के अनुसार वह 10.00 बजे (पूर्वाह्न) पुलिस थाने गई थी और पुलिस ने 10.00 बजे (पूर्वाह्न) पूछताछ की थी । तथापि, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 4.00 बजे अपराह्न में लिखी गई थी । यह दलील दी गई कि इसलिए यह प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम वृत्तांत को दबाया गया है और इसलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के प्रतिकूल है ।

3.10 मूल अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री संतोष कुमार द्वारा यह भी दलील दी गई कि यहां तक कि अभियोक्त्री द्वारा अपने साक्ष्य में प्रस्तुत की गई यह कहानी कि उसने अभियुक्त को गिरी हुई सीमा दीवार से कूदते हुए देखा था और जब उसने शोर मचाया तो अभियुक्त ने उसके मुंह में तोलिया ठूंस दिया और उसने मोबाइल की रोशनी में उसकी शनाख्त की थी, कतई विश्वसनीय नहीं है । यह दलील दी गई कि अभियोक्त्री के अनुसार वह दरवाजा बंद करके अपने कमरे में सो रही थी । अत: वह कमरे के बाहर किसी व्यक्ति को कोई कार्य करते हुए देखने में समर्थ नहीं थी । यह दलील दी गई कि न तो मोबाइल का संख्यांक और यहां तक कि न ही

मोबाइल को अन्वेषक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ।

3.11 यह भी दलील दी गई कि इसलिए जब दोषसिद्धि अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित है और चिकित्सा साक्ष्य से अभियोजन/अभियोक्त्री के पक्षकथन का समर्थन नहीं होता है तथा अभियोक्त्री का अभिसाक्ष्य तात्विक विरोधाभासों से भरा पड़ा है और अभियुक्त तथा अभियोक्त्री के परिवार के सदस्यों के बीच पहले से विवाद था और किसी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं की गई थी, अभियुक्त को अभियोक्त्री के ऐसे एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध करना सुरक्षित नहीं है । विद्वान् काउंसेल ने उपरोक्त दलील के समर्थन में **राजू और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] तथा **राय संदीप** उर्फ **दीपू** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली)**[2] वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों का जोरदार रूप से अवलंब लिया ।

3.12 उपरोक्त दलीलें देने और **मुकेश** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[3] तथा **रविन्द्र** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[4] वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों का भी अवलंब लेने के उपरांत इस अपील को मंजूर करने और उच्च न्यायालय तथा विद्वान् सेशन न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को अभिखंडित और अपास्त करने तथा अभियुक्त को उन अपराधों के लिए दोषमुक्त करने की प्रार्थना की गई, जिनके लिए उसका विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा विचारण किया गया था और दोषसिद्धि की गई थी तथा जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी ।

4. बिहार राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री केशव मोहन द्वारा इस अपील का पुरजोर विरोध किया गया है ।

4.1 प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता द्वारा जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि वर्तमान मामले में

---

[1] (2008) 15 एस. सी. सी. 133.

[2] (2012) 8 एस. सी. सी. 21.

[3] (2014) 4 एस. सी. सी. 327.

[4] (2015) 4 एस. सी. सी. 491.

अभियोक्त्री ने अभियोजन के पक्षकथन का पूरी तरह से समर्थन किया है । यह दलील दी गई कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **रंजीत हजारिका** बनाम **असम राज्य**[1] तथा **पंजाब राज्य** बनाम **गुरमीत सिंह और अन्य**[2] वाले मामलों में मत व्यक्त किया गया है, न्यायालयों को साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय इस तथ्य के प्रति सजग रहना चाहिए कि बलात्संग के किसी भी मामले में कोई भी आत्म-सम्मान रखने वाली स्त्री न्यायालय में अपनी गरिमा के विरुद्ध ऐसा एक लज्जित कथन करने के लिए नहीं आएगी कि उसके साथ बलात्संग किया गया है ।

4.2 **राजू और अन्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में उच्च न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए यह दलील दी गई कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सामान्यतया किसी अभियोक्त्री के साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए और उस पर विश्वास किया जाना चाहिए तथा यदि साक्ष्य विश्वसनीय है तो किसी संतुष्टि की आवश्यकता नहीं है ।

4.3 प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गई कि अन्यथा भी इस मामले में अभियोक्त्री के पेटीकोट को न्यायालयिक प्रयोगशाला में भेजा गया था और पेटीकोट पर रक्त तथा वीर्य के धब्बे पाए गए थे । यह दलील दी गई कि इसलिए न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से प्रकट होता है कि आहत/अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया गया था और इसमें अभियुक्त की अंतर्ग्रस्तता भी प्रकट होती है ।

4.4 **राजेन्द्र प्रहलाद राव** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल इस कारण कि न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनिश्चायक है, यह आवश्यक नहीं है कि इससे केवल यह अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त दोषी

---

[1] (1998) 8 एस. सी. सी. 635.

[2] (1996) 2 एस. सी. सी. 384.

[3] (2012) 4 एस. सी. सी. 37.

नहीं है ।

4.5 प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गई कि मात्र शुक्राणु के अभाव के कारण अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि महिला डाक्टर द्वारा उसका परीक्षण घटना की तारीख से लगभग 36 घंटे के पश्चात् किया गया था ।

4.6 प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आगे यह दलील दी गई कि यहां तक कि महिला डाक्टर, अभि. सा. 7 ने भी यह राय व्यक्त की थी कि बलात्संग की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है । यह दलील दी गई कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **बी. सी. देवा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई क्षति नहीं पाई गई थी, फिर भी अभियोक्त्री पर विश्वास किया जा सकता है ।

4.7 प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गई कि अभियोक्त्री पूर्ण समझ-बूझ वाली एक व्यस्क महिला है । यह दलील दी गई कि इसलिए केवल इस कारण कि चिकित्सीय परीक्षण के दौरान डाक्टर ने अभियोक्त्री के शरीर पर कोई बाह्य या आंतरिक क्षति नहीं पाई थी, उसके कथन को त्यक्त नहीं किया जा सकता है । यह दलील दी गई कि इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दोनों निचले न्यायालयों ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 450 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध करने में कोई गलती नहीं की गई है ।

4.8 उपरोक्त दलीलें देने और इस न्यायालय के पूर्वोक्त विनिश्चयों का अवलंब लेने के उपरांत यह प्रार्थना की गई कि इस अपील को खारिज किया जाए ।

5. हमने संबंधित पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को विस्तारपूर्वक सुना ।

---

[1] (2007) 12 एस. सी. सी. 122.

5.1 हमने उच्च न्यायालय तथा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए पारित किए गए आक्षेपित निर्णयों और आदेशों पर विस्तारपूर्वक विचार किया है । हमने अभिलेख पर मौखिक तथा दस्तावेजी दोनों साक्ष्य पर भी विस्तार से विचार किया है ।

5.2 दोनों निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णयों और आदेशों से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को केवल अभियोक्त्री (अभि. सा. 5) के अभिसाक्ष्य का अवलंब लेते हुए दोषसिद्ध किया गया है । न तो किसी स्वतंत्र साक्षी और यहां तक कि न ही चिकित्सा साक्ष्य से अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन होता है । अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य से अभिलेख पर यह बात आई है कि दोनों पक्षों के बीच एक भूमि विवाद चल रहा था । यहां तक कि अभि. सा. 5 - अभियोक्त्री ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया था कि उसकी संतोष (अभियुक्त) से दुश्मनी है । अभियोक्त्री को अभि. सा. 7, डा. रेणु सिंह-चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया गया था और डा. रेणु सिंह ने क्षति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । क्षति रिपोर्ट में कोई शुक्राणु तथा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नहीं पाए गए थे । डा. रेणु सिंह, अभि. सा. 7–चिकित्सा अधिकारी ने अपने अभिसाक्ष्य में विनिर्दिष्ट रूप से यह राय व्यक्त की और कथन किया कि उसे आहत के शरीर पर हिंसा का कोई चिह्न नहीं पाया था । उसने स्पष्ट तौर पर यह भी कथन किया कि बलात्संग का कोई शारीरिक या विकृतिजन्य साक्ष्य नहीं है । यह सही है कि उसके पश्चात् उसने यह कथन किया कि बलात्संग की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है । ऐसा मुख्य परीक्षा में कहा गया था । तथापि, प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया कि बलात्संग का कोई शारीरिक या विकृतिजन्य साक्ष्य नहीं था ।

5.3 न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, पेटीकोट पर रक्त समूह और वीर्य का होना अनिश्चायक बताया गया था । इसलिए अभिलेख पर उपलब्ध एकमात्र साक्ष्य अभियोक्त्री का अभिसाक्ष्य है । यह विवादग्रस्त नहीं किया जा सकता है कि अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, तथापि, साक्ष्य अवश्य ही विश्वसनीय और भरोसेमंद होना चाहिए । अत: अब हम अभियोक्त्री के

साक्ष्य की परीक्षा और इस बात पर विचार करेंगे कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियोक्त्री के एकमात्र अभिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करना सुरक्षित है, विशिष्ट रूप से जब न तो चिकित्सा रिपोर्ट/साक्ष्य से और न ही अन्य साक्षियों से इसका समर्थन होता है तथा अभिलेख पर यह आया है कि दोनों पक्षकारों के बीच दुश्मनी थी ।

5.4 अभियोक्त्री के अभिसाक्ष्य पर विचार करने से पूर्व अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिए गए **राजू** (उपर्युक्त) और **राय संदीप** उर्फ **दीपू** (उपर्युक्त) वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों को निर्दिष्ट किया जाना और उन पर विचार किया जाना अपेक्षित है ।

5.4.1 **राजू** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा पैरा 11 और 12 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "11. यह अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि बलात्संग से आहत को अत्यधिक ठेस पहुंचती है और अपमानित होना पड़ता है किंतु इसके साथ ही बलात्संग का एक मिथ्या अभिकथन किया जाना भी इसी भांति अभियुक्त को भी समान रूप से पीड़ा, अपमान और नुकसान पहुंचाता है । अभियुक्त की भी मिथ्या रूप से फंसाए जाने की संभावना से सुरक्षा की जानी चाहिए, विशिष्ट रूप से जहां अनेक अभियुक्त अंतर्वलित हों । इसके अलावा यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि व्यापक सिद्धांत यह है कि एक क्षतिग्रस्त साक्षी उस समय उपस्थित था जब घटना घटी थी और साधारणतया ऐसा साक्षी वास्तविक हमलावरों के संबंध में झूठ नहीं बोलेगा, किंतु ऐसी कोई उपधारणा नहीं है या यह मान लेने के लिए कोई आधार नहीं है कि ऐसे साक्षी का कथन सदैव सही होता है या किन्हीं अतिरंजनाओं अथवा अतिश्योक्ति के बिना होता है ।
>
> 12. गुरमीत सिंह [(1996) 2 एस. सी. सी. 383 = 1996 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 316] वाले मामले में दंड संहिता की धारा 375 और 376 में वर्ष 1983 में किए गए संशोधनों के प्रतिनिर्देश

किया गया है, जिनके द्वारा बलात्संग से संबंधित शास्तिक उपबंधों को और कठोर बनाया गया है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 114क में भी अभिकथित बलात्संग के मामले में सहमति-जन्य संभोग के अभिकथनों के संबंध में की जाने वाली उपधारणा के संबंध में भी संशोधन किए गए हैं तथापि, यह महत्वपूर्ण है कि धारा 113क और 113ख को भी उसी संशोधन द्वारा साक्ष्य अधिनियम में अंत:स्थापित किया गया था, जिसके द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आत्महत्या के दुष्प्रेरण और दहेज मृत्यु के मामले में कतिपय उपधारणाएं की गई हैं । इस प्रकार, ये दो धाराएं अभियोजन के पक्ष में एक स्पष्ट उपधारणा करती है किंतु बलात्संग के मामले में ऐसी कोई समरूप उपधारणा परिकल्पित नहीं की गई है क्योंकि धारा 114क के अधीन उपधारणा इसके लागू होने के संबंध में अत्यंत निर्बंधित है । इससे स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि जहां तक बलात्संग के अभिकथनों का संबंध है, किसी अभियोक्त्री के साक्ष्य की एक ऐसे क्षतिग्रस्त के साक्ष्य, जिसकी घटनास्थल पर उपस्थिति अधिसंभाव्य है, की परीक्षा किए जाने के समान ही परीक्षा की जानी चाहिए किंतु यह कदापि उपधारणा नहीं की जा सकती है कि उसका कथन बिना किसी अपवाद के वेदवाक्य के रूप में लिया जाए । इसके अतिरिक्त, उसके कथन का अधिक से अधिक इस सिद्धांत के आधार पर विचार किया जा सकता है कि साधारणतया कोई भी क्षतिग्रस्त साक्षी झूठ नहीं बोलेगा या किसी व्यक्ति को मिथ्या रूप से नहीं फंसाएगा । हम यह विश्वास करते हैं कि यह इन सिद्धांतों के अधीन ही है कि इस मामले और इस मामले जैसे अन्य मामलों की परीक्षा किए जाने की आवश्यकता है ।"

5.4.2 **राय संदीप** उर्फ **दीपू** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय को ऐसे साक्षी पर विचार करना था जिसे 'उत्तम साक्षी' होना कहा जा सकता है । पैरा 22 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है :–

"22. हमारी सुविचारित राय में, 'उत्तम साक्षी' एक अत्यंत उच्च गुणवत्ता और चरित्रबल का होना चाहिए, जिसका बयान

अकाट्य होना चाहिए । ऐसे साक्षी के बयान पर विचार करते समय न्यायालय किसी संकोच के बिना उसके प्रत्यक्ष महत्व के लिए इसे स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए । ऐसे साक्षी की गुणवत्ता की परख करने क लिए, साक्षी की प्रास्थिति अतात्विक होगी और जो बात सुसंगत होगी वह ऐसे साक्षी द्वारा किए गए कथन की सत्यता है । जो बात और अधिक सुसंगत होगी वह आरंभिक बिंदु से लेकर अंत तक, अर्थात् उस समय पर जब साक्षी न्यायालय के समक्ष आरंभिक कथन और अंततोगत्वा कथन करता है । वह कथन स्वाभाविक और अभियुक्त के संदर्भ में स्वाभाविक और अभियोजन के पक्षकथन के संगत होना चाहिए । ऐसे साक्षी के बयान में कोई छल-कपट नहीं होना चाहिए । साक्षी कितनी भी लंबी प्रतिपरीक्षा और वह कितनी भी कठिन हो, का सामना करने की स्थिति में होना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, अंतर्वलित व्यक्तियों तथा घटना के क्रम के बारे में किसी संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए । ऐसे वृत्तांत का अन्य समर्थनकारी सामग्री जैसे की गई बरामदगियां, प्रयुक्त किए गए आयुधों, अपराध कारित करने की रीति, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय के साथ सह-संबंध होना चाहिए । उक्त बयान का मिलान सतत् रूप से प्रत्येक अन्य साक्षी के बयान से होना चाहिए । यहां तक कहा जा सकता है कि यह पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में लागू होने वाली कसौटी के समान होना चाहिए, जहां अभियुक्त को उसके विरुद्ध अभिकथित अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई कड़ी लुप्त नहीं होनी चाहिए । केवल यदि ऐसे साक्षी का बयान उपरोक्त कसौटी और लागू की जाने वाली इसी प्रकार की सभी अन्य कसौटियों पर खरा उतरता है तो यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि ऐसे साक्षी को एक 'उत्तम साक्षी' कहा जा सकता है जिसके बयान को न्यायालय द्वारा उसके बयान को किसी संपुष्टि के बिना स्वीकार किया जा सकता है और उसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है । और अधिक सुस्पष्टता के लिए, उक्त साक्षी का बयान अपराध के सारभूत भाग पर अविकल रहना चाहिए जबकि सभी अन्य विद्यमान सामग्री अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और तात्विक वस्तुओं

का मिलान तात्विक विशिष्टियों में अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय को समर्थ बनाने के लिए अपराधी को अभिकथित आरोप का दोषी ठहराने के लिए अन्य समर्थनकारी सामग्री को अलग करने के लिए सारभूत बयान का अवलंब लेने के लिए मिलान होना चाहिए ।"

5.4.3 **कृष्ण कुमार मलिक** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि निस्संदेह यह सही है कि अभियुक्त को बलात्संग का अपराध कारित करने का दोषी ठहराने के लिए अभियोक्त्री का साक्ष्य पर्याप्त है बशर्ते उसका साक्ष्य विश्वासोत्पादक हो और पूर्णरूप से विश्वसनीय, निष्कलंक प्रतीत होता हो और उत्तम गुणवत्ता का होना चाहिए ।

5.5 पूर्वोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करना सुरक्षित है ? क्या अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वासोत्पादक है और पूर्ण रूप से विश्वसनीय, निष्कलंक प्रतीत होता है तथा क्या उत्तम गुणवत्ता का है ?

6. अभियोक्त्री के अभिसाक्ष्य का परिशीलन करने और विचार करने के पश्चात् हमारा यह निष्कर्ष है कि इसमें काफी विरोधाभास हैं । न केवल तात्विक विरोधाभास हैं, अपितु अभियोक्त्री के बयान के अनुसार जिस रीति में घटना घटी थी वह भी विश्वसनीय नहीं है । अभियोक्त्री ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया था कि अभियुक्त गिरी हुई सीमा दीवार से कूद कर अंदर आया और उसके पश्चात् अभियुक्त ने बलात्संग किया । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया है कि उसने मोबाइल की रोशनी से अभियुक्त की शनाख्त की थी । तथापि, कोई मोबाइल बरामद नहीं किया गया है । यहां तक कि अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है कि वहां कोई टूटी हुई चारदीवारी थी । उसने यह भी कथन किया है कि प्रात: 10.00 बजे वह पुलिस थाने गई थी और मौखिक शिकायत दी थी । तथापि, अन्वेषक अधिकारी के अनुसार, एक लिखित शिकायत दी गई थी ।

---

[1] (2011) 7 एस. सी. सी. 130.

यह उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी 4.00 बजे अपराह्न में रजिस्ट्रीकृत की गई थी । अभियोक्त्री ने अपने अभिसाक्ष्य में शांति देवी, अभि. सा. 1 और अन्य व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट किए थे । तथापि, शांति देवी ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । इसलिए जब हम अभि. सा. 5–अभियोक्त्री के बयान की परीक्षा करते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उक्त साक्षी 'उत्तम साक्षी' की किसी कसौटी पर खरा उतरने में असफल रही है । शिकायत देने के बारे में उसके बयान में फेरफार है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब हुआ है । चिकित्सा रिपोर्ट से अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं होता है । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं करती है । स्वीकृत रूप से, दोनों पक्षकारों के बीच भूमि के संबंध में दुश्मनी/विवाद था । जिस रीति में घटना घटित होना बताया गया है वह विश्वसनीय नहीं है । इसलिए इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियोक्त्री–अभि. सा. 5 के एकमात्र बयान को वेदवाक्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है और किसी अन्य समर्थनकारी साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी पर अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश को संधार्य रखने की कोई गुंजाइश नहीं है तथा अभियुक्त को संदेह का फायदा दिया जाना चाहिए ।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से यह अपील मंजूर की जाती है । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित और विचारण न्यायालय द्वारा अभिपुष्टि किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय और आदेश तद्द्वारा अभिखंडित और अपास्त किए जाते हैं । अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और उसे, यदि उसकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो, तुरंत रिहा कर दिया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.